

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES

(Act XXI of 1860)

No. 825 of 19 87-88I hereby certify that "SHRI P.S.C. JAIN EDUCATION SOCIETY,BARARA (DISTT AMBALA)

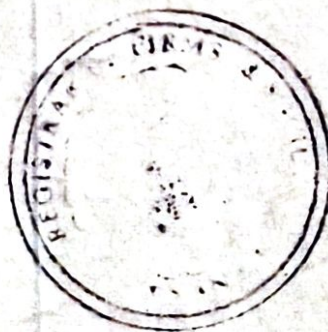
" has this day been registered under

the Societies Registration Act XXI of 1860 and as amended by Punjab
Amendment Act, 1957.

Given under my hand and Chandigarh this _____

day of MAY, One Thousand Nine Hundred andEIGHTY SEVEN.

Fee Rs. 50/-



[Signature]
Principal
P.S.C. Jain Sen. Sec. School
Barara (Ambala)

[Signature]
(B. J. TANWAR)

Registrar of Firms and Societies, Haryana.

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़
आदेश क्रमांक 4/61-98 से. वि. (1) दिनांक चण्डीगढ़ 27-8-99
आपके विद्यालय का इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4/61-98 से. वि.

दिनांक 31-3-99 के अर्न्तगत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से स्तर छूट कर दसवी तक का कर दिया गया था। क्योंकि आपके विद्यालय में निम्नलिखित कमियां निरीक्षण के दौरान पाई गई थी :-

1. अलग से खेल सामान !
2. छात्रों का रजिस्टर !
3. पढ़ाई खेल का सामान !
4. विज्ञान कक्ष !
5. पुस्तकालय !
6. कोठा की सफाई से कमी !
- 7.

अब आप द्वारा की गई अपील जिसमें लिखा गया था कि विद्यालय द्वारा सभी कमियां दूर कर ली गई है अतः विद्यालय का पुनः निरीक्षण करवा लिया जाए।

आपकी अपील को मध्य नजर रखते हुए निदेशालय द्वारा गठित निरीक्षण कमेटी से आपके विद्यालय का निरीक्षण करवाया गया था और निरीक्षण रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। अब रिपोर्ट की जांच के आधार पर आपके विद्यालय का स्तर बहाल किया जाता है परन्तु भविष्य में भवन की क्षतिमा अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दिया जाए

एस.के. मिश्रा
संयुक्त निदेशक वि०
कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ !

सेवा में,

प्रबन्धक

प्री. एस. सी. जैन वरिष्ठ माध्यमिक
विद्यालय करांडा (अम्बाला)।

प्र० क्र० सम दिनांक
प्रेक्षित है :-

- 1.
- 2.

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

जिला शिक्षा अधिकारी अम्बाला /
सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी

Principal
P.S.C. Jain Sen. Sec. School
Barara (Ambala)

कृते निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर
2. जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद
3. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला

यादी क्रमांक 1455, 1718, 2357, 2374 व 2890 सै. शि. ११४ 4/4-92

दिनांक चण्डीगढ़ 2-7-1992

विषय: 10+2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना ।

=====

उपरोक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक जी-1/92/80 दिनांक 5.3.92, यादी क्रमांक 92/8370-1239 दिनांक 6.3.92, यादी क्रमांक जी-2-92/3397 दिनांक 11.5.92, यादी क्रमांक जी-2-92/3396 दिनांक 11.5.92 तथा यादी क्रमांक जी-3/92/1658 दिनांक 15.6.92 के संदर्भ में ।

आपके जिला के वर्णित अराजकीय विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 1992-93 से 10+2 शिक्षा प्रणाली उनके सम्मुख अंकित संकाय तथा विषयों में शुरू करने की अनुमति उल्लेखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

क्र.सं. विद्यालय का नाम

10+2 में जो संकाय शुरू किये जाने हैं ।

1. डी.ए.वी. हाई स्कूल, मुत्तकाबाद, यमुनानगर

मानव तथा वाणिज्य संकाय

2. डी.डी. अग्रवाल हाई स्कूल, जगाधरी, यमुनानगर

मानव तथा वाणिज्य संकाय
केवल लड़कियों के लिए

3. डा.0 अनिल मलिक, सनातन धर्म महावीर दल नं. 1, फरीदाबाद, एन.आई.टी.

मानव तथा वाणिज्य संकाय

4. श्री सनातन धर्म हाई स्कूल, 2-सी, एन.आई.टी., फरीदाबाद

मानव तथा वाणिज्य संकाय

5. पी.एस.सी. जेन हाई स्कूल, बराड़ा, अम्बाला

मानव तथा वाणिज्य संकाय

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान की मांग नहीं करेंगे और इस बारे में नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं को सभी आवश्यक साधन/सुविधाएँ अपने खर्च पर ही उपलब्ध कराएंगे ।

2. जमा दो कक्षाओं के लिए केवल उन्हीं शिक्षकों को लगाया जाये जिन्होंने सम्बन्धित विषय में एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों ।

3. सभी छात्र/छात्राओं को फरनीचर इत्यादी का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये

4. यदि वह कार्मस ग्रुप शुरू करना चाहते हैं तो उसे जमा दो कक्षाओं में शुरू किया जाये जब सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से साधन/सुविधाओं की उपलब्ध बारीकी रिपोर्ट प्रदान कर दी जाये ।

Principal
Barara (Ambala)

आगे प्र. 1. पर

5. जमा दो स्तर पर केवल वह ही विषय अथवा ग्रुप शुरू किये जायें जिनकी : टीफ /लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधायें विद्यालय में उपलब्ध हों ।

22/11/11
अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा

कृते निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

पृ०क० सम दिनांक 2-7-1992

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सभी मुख्याध्यापक/मुख्याध्यायिका सम्बन्धित विद्यालय ।
2. निदेशक, एस. सी. ई. आर. टी. हरियाणा, गुडगाँवा ।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
4. अधीक्षक विद्यालय-। शाखा §स्थानीय§/आकंडा शाखा
5. इन्चार्ज मोनीटरिंग से. §स्थानीय§

22/11/11
अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा

कृते निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

कार्यालय निदेशक, सेकेंडरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक 23/18-91-वि-15

दिनांक, चण्डीगढ़ 13-5-92

पी०एस०सी० जैन, उच्च विद्यालय, बराड़ा अंबाला

को दिनांक 1-4-92 से पहली से दसवीं तक की स्थाई मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1- विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल अपने ही साधनों से चलायें और ग्रांट की मांग नहीं करेंगे।
- 2- भावी नियुक्तियों के समय आरक्षण का ध्यान रखेंगे।
- 3 138730/- रुपये की शेष राशि चार समान वार्षिक किस्तों में समय पर जमा करवा देंगे।

वीरेन्द्र वर्मा,
अपर निदेशक, सेकेंडरी शिक्षा,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ०क० -सम- दिनांक 29/5/92

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं जांच के कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला । उनसे अनुरोध है कि प्रबन्धकों से सिक्योरिटी की शेष राशि जमा करवा कर निदेशालय को भी स्थिति से अवगत करवाए।
- 2- सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य।
- 3- चेयरमैन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
- 4- अधीक्षक, एन०एस०सी० शाखा स्थानीय।
- 5- अधीक्षक, सेकेंडरी शिक्षा।
- 6- आंकड़ा अधिकारी स्थानीय।
- 7- मैनेजर, पी०एस०सी० जैन उच्च विद्यालय, बराड़ा अंबाला।
- 8- विद्यालय-1 शाखा के सहायक 2 तथा 6

हस्ताक्षर 29/5/92

सहायक निदेशक, मान्यता प्राप्त विद्यालय,
कृते: निदेशक, सेकेंडरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़।

Principal
P.S.C. Jain Sen. Sec. School
Barara (Ambala)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला

आदेश क्रमांक जी-2/90/3923

दिनांक 7.7.90

पी.एस.सी. जैन हाई स्कूल, बराड़ा को दिनांक

1.4.90 से पहली से आठवीं तक स्थाई मान्यता प्राप्त की जाती है।

एस.पी. गुप्ता
जिला शिक्षा अधिकारी,
अम्बाला

प्रमाणित सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं

आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है :-

1. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य के अन्तर्गत।
2. सभी उप मण्डल शिक्षा अधिकारी जिला अम्बाला के अन्तर्गत।
3. चैयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. प्रबन्धक पी.एस.सी. जैन हाई स्कूल, बराड़ा
5. अनुभागाध्यक्ष अधिकारी इस कार्यालय में।

आदेश क्रमांक जी-2/90/3923

दिनांक 7.7.90

उप. शिक्षा अ.
क्षेत्र: जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बाला।

1.4.90 से पहली से आठवीं तक स्थाई मान्यता प्राप्त की जाती है।

Principal

P.S.C. Jain Sen. Sec. School
Barara (Ambala)